

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



एस.जी.-डी.एल.-अ.-08072021-228189
SG-DL-E-08072021-228189

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 190]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 8, 2021/आषाढ 17, 1943	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 80
No. 190]	DELHI, THURSDAY, JULY 8, 2021/ASHADHA 17, 1943	[N. C. T. D. No. 80

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (व्यय-IV) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 8 जुलाई, 2021

संख्या 46/2020-राज्य कर

सं. फा. 03(94)/वित्त (व्यय- IV)/2021-22/डीएस- IV / 550.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, एकीकृत माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 20 और संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 21 के साथ पठित दिल्ली माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) (जिसे इसमें इसके पश्चात् इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सहित विश्व के कई देशों में कोविड-19 महामारी के फैलाव की दृष्टि से, परिषद् की सिफारिशों पर यह अधिसूचित करते हैं कि उन मामलों में जहां पूर्णतः या भागतः प्रतिदाय दावे को नामंजूर करने के लिए नोटिस दिया गया है और जहां उक्त अधिनियम की धारा 54 की उपधारा (7) के साथ पठित उपधारा (5) के उपबंधों के निबंधनों के अनुसार आदेश जारी करने की समय-सीमा 20 मार्च, 2020 से 29 जून, 2020 तक की अवधि के दौरान है, ऐसी दशा में, उक्त आदेश को जारी करने के लिए समय-सीमा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से नोटिस का उत्तर प्राप्त करने के पश्चात् पंद्रह दिनों तक या 30जून, 2020 तक जो भी बाद का हो, विस्तारित हो जाएगा।

2. यह अधिसूचना 20 मार्च, 2020 से प्रवृत्त होगी ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
मनोज कुमार, उप सचिव-IV (वित्त)

FINANCE (EXPENDITURE-IV) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 8th July, 2021

No. 46/2020- State Tax

No. F. 3(94)/Fin.(Exp-IV)/2021-22/DS-IV/550.—In exercise of the powers conferred by section 168A of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), read with section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), and section 21 of Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017), in view of the spread of pandemic COVID-19 across many countries of the world including India, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby notifies that in cases where a notice has been issued for rejection of refund claim, in full or in part and where the time-limit for issuance of order in terms of the provisions of sub-section (5), read with sub-section (7) of section 54 of the said Act falls during the period from the 20th day of March, 2020 to the 29th day of June, 2020, in such cases the time-limit for issuance of the said order shall be extended to fifteen days after the receipt of reply to the notice from the registered person or the 30th day of June, 2020, whichever is later.

2. This notification shall come into force with effect from the 20th day of March, 2020.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
MANOJ KUMAR, Dy. Secy. IV (Finance)